महेन्द्र कुमार बनाम शेराराम आदि
2016 / 163
निर्णय दिनांकः–06.05.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक : 25.05.2016

प्रार्थना पत्र सं. : 2016 / 163

1. महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र भगवानाराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 24, पूनियां कॉलोनी टॉवर के पास, चूरू

–प्रार्थी–

बनाम

1. शेराराम पुत्र गोरूराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 21, चूरू
2. मंगलचन्द पुत्र शिवदतराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 21, चूरू
3. थावरमल पुत्र शिवदतराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 21, चूरू
4. सावित्री देवी पत्नि किशनलाल जाति माली निवासी वार्ड नं. 21, चूरू
5. किशनलाल पुत्र रूकमानन्द जाति माली निवासी वार्ड नं. 21, चूरू
6. पंकज पुत्र सीताराम पुत्र देबू जाति माली निवासी वार्ड नं. 21, चूरू
7. गोपाल पुत्र सीताराम पुत्र देबू जाति माली निवासी वार्ड नं. 21, चूरू
8. पवन कुमार पुत्र सीताराम पुत्र देबू जाति माली निवासी वार्ड नं. 21, चूरू
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री ललित गौतम
अप्रार्थीः– श्री श्यामलाल सैनी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म [illegible] इस प्रकार से है कि प्रार्थी महेन्द्रकुमार शर्मा ने खसरा संख्या 971 / 103 [illegible] हेतु अप्रार्थी शेराराम के खेत खसरा संख्या 106 में से 18 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की है । प्रार्थी का तर्क है कि दिशा भ्रम के कारण पूर्व में गलत नक्शा पेश हुआ था [illegible] बाद में संशोधित करवाया गया । प्रार्थी के अनुसार उसके खेत में जाने हेतु कोई अन्य [illegible] मार्ग उपलब्ध नहीं है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:58 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामलाल सैनी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब / हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 9 भूमिधारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र के मुख्य विधिक बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

- प्रार्थी के पास अपनी जोत (खसरा संख्या 971 / 103) तक पहुँचने के लिए पहले से ही सुगम और विधिक रास्ते मौजूद हैं । प्रार्थी के खेत की सीमा से पक्की डामर सड़क और अन्य प्रचलित कच्चे रास्ते जुड़े हुए हैं, जिसका उल्लेख प्रार्थी ने जानबूझकर छुपाया है ।
- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत नया रास्ता तभी दिया जा सकता है जब प्रार्थी सर्वथा रास्ता विहीन हो । चूँकि प्रार्थी के पास वैकल्पिक पक्का मार्ग उपलब्ध है, अतः यह आवेदन पोषणीय नहीं है ।
- दिनांक 15.10.2025 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत और एकपक्षीय है । मौका कमिश्नर ने प्रार्थी से मिलीभगत कर मौके पर मौजूद पक्की डामर सड़क और अन्य रास्तों को अपने नजरी नक्शे में प्रदर्शित नहीं किया है ।
- प्रार्थी ने पूर्व में गलत नजरी नक्शा पेश किया था और अब संशोधित नक्शे के माध्यम से अप्रार्थी की बेशकीमती खातेदारी भूमि के बीच से रास्ता निकालकर उसे नुकसान पहुँचाना चाहता है ।
- अप्रार्थी की खातेदारी भूमि (खसरा संख्या 106) में से रास्ता देने से अप्रार्थी की जोत के दो टुकड़े हो जाएंगे, जिससे उसे अपूर्णीय क्षति होगी । कानूनन, वैकल्पिक मार्ग होने की स्थिति में किसी की निजी खातेदारी को बाधित नहीं किया जा सकता ।
- प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम माग के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि अन्य दिशाओं से सुगम मार्ग पहले से ही उपलब्ध हैं ।
- प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष सही बात नहीं रखी है और मौके की वास्तविक भौगोलिक स्थिति को छुपाया है ।

  अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खर्चे के साथ खारिज किए जाने योग्य है ।

3. प्रकरण में जवाब अप्रार्थी व तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष की बहस से सुनी गई ।

- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 971 / 103 के चारों ओर अन्य खातेदारों की भूमि है, जिससे प्रार्थी अपनी जोत तक पहुँचने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी वर्षों से अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 106 की [illegible] आवागमन करता रहा है। प्रार्थी केवल इसी प्रचलित मार्ग को राजस्व रिकॉर्ड [illegible] धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज करवाना चाहता है। अधिवक्ता [illegible] तहसीलदार एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दि[illegible] का हवाला देते हुए कहा कि राजस्व अधिकारियों ने मौके पर प्रार्थी के लिए मार्ग की आवश्यकता को सही पाया है। प्रार्थी इस मार्ग हेतु नियमानुसार मुआबजा देने को भी तैयार है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अनेक्चर ए के अनुसार रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:58 IST
Reason: SelfAttested

- अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी का यह आवेदन तथ्यों को छुपाकर पेश किया गया है। पत्रावली पर संलग्न नवीनतम फोटोग्राफ्स (अनेक्चर बी) से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि प्रार्थी के खेत के दक्षिण–पश्चिमी कोने पर पक्की डामर सड़क और एक अन्य सुगम कच्चा रास्ता पहले से मौजूद है। धारा 251–ए के तहत नया रास्ता केवल तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब प्रार्थी के पास कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो। चूंकि यहाँ पक्का मार्ग उपलब्ध है, अतः अप्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि के बीच से नया रास्ता देना कानूनन गलत है। मौका रिपोर्ट एकपक्षीय है। राजस्व कार्मिकों ने जानबूझकर मौके पर मौजूद पक्की सड़क को अपने नजरी नक्शे में नहीं दिखाया है, जो कि राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा करता है। यदि अप्रार्थी के खेत के बीच से रास्ता दिया जाता है, तो अप्रार्थी की जोत दो हिस्सों में बंट जाएगी, जिससे उसे खेती करने में अपूर्णीय विधिक व आर्थिक क्षति होगी। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

4. न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध जवाब, बहस और तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अप्रार्थी के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि

   - वैकल्पिक एवं सुगम मार्ग की उपलब्धताः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत नवीन रास्ता प्रदान करने की अनिवार्य शर्त यह है कि प्रार्थी के पास अपनी जोत तक पहुँचने का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो। पत्रावली पर उपलब्ध फोटो साक्ष्यों (अनेक्चर B) से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि प्रार्थी के खेत (खसरा संख्या 971 / 103) की सीमाओं से पक्की डामर सड़क (बिन्दु E से F) और एक अन्य प्रचलित कच्चा रास्ता (बिन्दु G से H) पहले से जुड़ा हुआ है ।
   - तहसीलदार रिपोर्टः भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर विद्यमान पक्की डामर सड़क और सुगम रास्तों का कोई उल्लेख नहीं किया है । यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष वास्तविक भौगोलिक स्थिति को छुपाया गया है। जब प्रार्थी के पास पहले से ही पक्का और सुगम मार्ग उपलब्ध है, तो वह किसी अन्य खातेदार की निजी भूमि पर भार डालने का विधिक अधिकारी नहीं है।
   - सुविधा का संतुलन एवं निजी अधिकारः अप्रार्थी का खेत खसरा संख्या 106 उसकी निजी खातेदारी की भूमि है। वैकल्पिक मार्ग की उपस्थिति में अप्रार्थी के खेत के बीच से या सींव के सहारे रास्ता देने से उसकी जोत की उपयोगिता कम होगी और उसे अपूर्णीय क्षति होगी । कानून केवल 'आत्यांतिक आवश्यकता' के आधार पर रास्ता देने का प्रावधान करता है, 'सुविधा' के आधार पर नहीं।
   - राजस्व मण्डल के विधिक सिद्धांतः राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, यदि प्रार्थी के पास कोई अन्य प्रचलित रास्ता है, चाहे वह थोड़ा लंबा ही क्यों न हो, तो निजी खातेदारी भूमि में [illegible] रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

5. प्रार्थी के पास अपनी भूमि [illegible] पहुँचने [illegible] दिशा में पक्की सड़क एवं अन्य रास्ते पूर्व से ही सुलभ हैं, अतः अप्रार्थी [illegible] करने का कोई विधिक आधार शेष नहीं रहता है। उपरोक्त विस्तृत विधिक विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:58 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र धारा 251—A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 उपर्युक्त विवेचन के आधार खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

उक्त निर्णय आज 06.05.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:58 IST
Reason: SelfAttested